**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**राजस्व विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2154**

**(जिसका उत्तर मंगलवार, 1 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)**

**घोटालेबाजों के संबंध में आई॰टी॰ रिपोर्ट को साझा किया जाना**

**2154. श्री रवि प्रकाश वर्माः**

**श्री नीरज शेखरः**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या एक आयकर रिपोर्ट ने 2018 में सामने आये 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले से आठ महीने पहले एक व्यक्ति और उसकी कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में चेतावनी जारी की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ईडी, सीबीआई और एसएफआईओ जैसी अन्य एजेंसियों के साथ इस रिपोर्ट को साझा क्यों नहीं किया गया?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)**

1. **से (ग):** आयकर विभाग, संदिग्ध कर अपवंचन के उपयुक्त मामलों में तलाशी तथा जब्ती की कार्रवाई करता है। तलाशी के पश्चात, एकत्रित किए सबूतों के आधार पर ही, कर अपवंचन के उद्देश्य से मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है। मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रत्यक्ष कर कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों से संबंधित होती है। किसी अन्य अधिसूचित एजेंसी को केवल तभी अधिसूचित किया जाता है, जब तलाशी या मूल्यांकन के दौरान किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रशासित कानून के किसी भी उल्लंघन को प्रमाणित किया जाता है। गैर-अधिसूचित एजेंसी को निर्धारिती विशेष से संबंधित सूचना का खुलासा करना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 के तहत यथानिर्धारित, को छोड़कर, निषेध है।

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***